

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2555700 फैक्स-2552665
ईमेल- dpswbpl@nic.in

क्रमांक/सा.सहा./ 2018/139/294

भोपाल दिनांक 24/05/2018

प्रति,

1. समस्त आयुक्त नगर निगम,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रतिमाह पेंशन भुगतान करने हेतु पेंशन स्वीकृति प्रपोजल का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के संबंध में।

संदर्भ:- संचालनालय पत्र क्रमांक सा.सहा./2018/339, भोपाल दिनांक 20.03.2018

....

उपरोक्त विषयांगत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। राज्य स्तर से खोले गये नोडल बैंक खाते से पेंशन राशि का वितरण इलेक्ट्रानिक पेमेंट आर्डर के माध्यम से हितग्राहियों को करने की कार्यवाही जून, 2017 से प्रारंभ की गई है। स्थानीय निकायों द्वारा पेंशन पोर्टल पर दर्ज हितग्राहियों की जानकारी के आधार पर सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना के माध्यम से समस्त पेंशन हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान उनके बचत खाते में करने की कार्यवाही राज्य स्तर से प्रतिमाह की जा रही है।

समस्त पात्र पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन समय पर प्राप्त हो, इस हेतु समस्त स्थानीय निकायों को प्रतिमाह माह की 22 तारीख तक पेंशन स्वीकृति हेतु प्रपोजल का भौतिक सत्यापन किया जाकर प्रपोजल ऑनलाईन प्रेषित किये जाने व संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय के माध्यम से निकायवार प्रेषित प्रपोजल का हस्ताक्षरीत सत्यापन प्रमाण पत्र भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

निकायों द्वारा नियत समय-सीमा में पेंशन प्रपोजल स्वीकृत की कार्यवाही समय-सीमा में नहीं की जा रही है। माह मई, 2018 हेतु केवल 16 जिलों (देवास, खण्डवा, दमोह, छिंदवाडा, खरगौन, कटनी, सिवनी, श्योपुर, पन्ना, धार, शाजापुर, सीहोर, मुरैना, बुरहानपुर, रतलाम, टीकमगढ़) को छोड़कर शेष सभी जिलों द्वारा 100 प्रतिशत पेंशन प्रपोजल एप्रूव नहीं किये है, यह स्थिति उचित नहीं है।

तत्काल पेंशन प्रपोजल एप्रूवल करते हुए, संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय के माध्यम से सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये। ताकि हितग्राहियों को शासन की मंशा के अनुरूप समय पर पेंशन भुगतान हो सके।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)

संचालक,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण, भोपाल, म.प्र.

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश की ओर निकायवार प्रेषित प्रपोजल का हस्ताक्षरीत सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाने बावत।

संचालक,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, भोपाल